न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 33/2025

बउनवान

सरकार जर्ये संदीप झांकल, प्रवर्तन अधिकरी, (छबड़ा) (प्रार्थी)

बनाम

श्री डालचंद पुत्र श्री कजोड़ीलाल, निवासी बजरंग नगर वार्ड न.9 छबड़ा, जिला बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 16.05.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.03.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक दुरूपयोग की शिकायत के कम में प्रार्थी ईदगाह चौराहा छबड़ा स्थित लवकुश रेस्टोरेंट एवं भोजनालय पर पहुंचे मौके पर श्री डालचंद पुत्र श्री कजोड़ीलाल, निवासी बजरंग नगर वार्ड न. 9 छबड़ा, उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर दो घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स निधि एचपी गैस एजेन्सी छबड़ा की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा दो गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने स्वंय उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ईदगाह चौराहा छीपाबड़ौद रोड छबड़ा पर किराए की दुकान लगाकर उस पर कचौरी, समोसा आदि का व्यवसाय कर अपना व अपने परिवार का पेट पालन करता आ रहा है इसके अलावा आय का कोई जरिया नहीं है। प्रार्थी उक्त दुकान पर कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर लगाकर ही अपना व्यवसाय करता चला आ रहा है और उसने कभी भी घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी के दो सिलेण्डर घरेलू जिसमें एक खाली व एक भरा हुआ था जिनको वक्त जांच के दौरान निरीक्षणकर्ता द्वारा गलत रूप से जब्त कर लिया गया। अतः प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त फरमावें तथा प्रार्थी के जब्तशुदा सिलेण्डर वापस दिलावें।

हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं उपस्थित अप्रार्थी स्वंय की सुनी।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा दो गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

बहस के दौरान अप्रार्थी स्वंय ने कथन किया कि प्रार्थी ईदगाह चौराहा छीपाबड़ौद रोड़ पर दुकान लगाता है जिस पर प्रार्थी कचौरी, समोसा आदि का व्यवसाय कर अपना व अपने परिवार

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.07.01 10:57:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

...ट पालन करता आ रहा है इसके अलावा आय का कोई जरिया नहीं है। प्रार्थी भविष्य में कभी ... घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक हेतु नहीं करेगा उक्त गलती के लिये प्रार्थी क्षमाप्रार्थी है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त फरमाकर अप्रार्थी की दुकान से जब्त किये गये दो गैस सिलेण्डर अप्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करें।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने बहस के दौरान स्वयं घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा INDANE गैस सिलेण्डर नम्बर (1) 485740, INDANE गैस सिलेण्डर नम्बर (2) 475980 का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मयं जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये यानि दो गैस सिलेण्डर की कुल 5000/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स निधि एचपी गैस एजेन्सी छबड़ा को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.07.01 10:57:45 IST
Reason: SelfAttested